

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 79/2025 अपील (GCMS 2025/79)

पंजीयन दिनांक- 05/05/2025

निर्णय दिनांक- 30/03/2026

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमंद।

-अपीलांत

**बनाम**

1. श्री खेमराज पिता नारू गुर्जर, निवासी भचरडिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
2. श्री प्यारेलाल पिता देवा भील, निवासी भचरडिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
3. श्री प्रवीणनाथ पिता मोहननाथ रावल, निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
4. श्रीमती विमलेश पिता मोहननाथ रावल, निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
5. श्रीमती सोवनी पत्नि भूरा भील, निवासी अनोपपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
6. श्री किशनलाल पिता उदयराम गुर्जर, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

-रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:-

1. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक - अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री मनीष शर्मा - अधि. रेस्पों. संख्या 2 व 5

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के  
प्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 21.06.2024

**निर्णय**

दिनांक 30/03/2026

अपीलांत द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के

प्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 21.06.2024 के विरुद्ध दिनांक 28.04.2025 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136, 131 एवं 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट्स के खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम अनोपपुरा, पटवार हल्का, कुंदवा, तहसील देवगढ़ में स्थित होकर जमाबंदी संवत् 2070-73 की खाता संख्या 20/57 अनुसार आराजी संख्या 403/5 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा थी, जिसके नये आराजी संख्या 602/534, 603/534, 604/534, 605/534 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर बने है। उक्त वर्णित आराजीयात को सेटलमेंट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों अनुसार दर्ज भूमि की जरिये इंड्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों में शुद्धि करते हुए तरमीम की जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 10/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 21.06.2024 से रेस्पोंडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.06.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- **”अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम सेटलमेंट से पूर्व राजस्व ग्राम अनोपपुरा, पटवार हल्का, कुंदवा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद में स्थित जमाबंदी संवत् 2070-2073 के खसरा संख्या 485/403, 483/403, 484/403, 486/403 व 403/5 के नवीन आराजी संख्या 602/534, 605/534, 604/534, 603/534, 534 को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर**

*प्रभावित आराजी 531 तथा बिलानाम आराजी संख्या 533, 532, 530 की जांच कर सेटलमेंट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों अनुसार दर्ज भूमि की जरिये इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों में शुद्धि करते हुए तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, देवगढ़ को भेजी जावें।”*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1, 3, 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.03.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांत राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि का रकबा कम होना अंकित किया, परंतु अंतर रकबा किस भूमि में दर्ज हुआ तथा चारों दिशाओं में स्थित अपने पड़ोसी खातेदारों के हक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं, ऐसा कही भी अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं पूर्व राजस्व रेकार्ड की तुलनात्मक जांच किये जाने के पश्चात् विधि संगत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। धारा 136 में प्रावधान है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंट से पूर्व के किसी अंकन में सेटलमेंट के बाद निर्धारित राजस्व रेकार्ड में परिवर्तित अंकन कर दिया हो तो उसे शुद्ध किया जाना है, किन्तु रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटि का कही भी अंकन नहीं किया गया है। रेस्पोंडेंट्स द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक

रकबे को शुद्धि के जरिये अपने नाम खातेदारी अधिकार से रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है, जो विधि संगत नियमित वाद प्रक्रिया के जरिये ही दर्ज करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण निर्णय की पालना किये जाने की स्थिति में राजकीय बिलानाम भूमि का क्षेत्रफल प्रभावित होता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रभावित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समूचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत ही विधिक निर्णय पारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 5 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि वर्तमान राजस्व सेटलमेंट लागू होने पर रेस्पोंडेंट्स के पूर्व खाते के नक्शों में खसरा नम्बर 403/5 कुल कित्ता 1 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी, जिसके नवीन खसरा नम्बर 602/534 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605/534 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 604/534 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603/534 रकबा 0.2500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 534 रकबा 0.4200 हैक्टेयर दर्ज किये, परंतु उक्त भूमि का नक्शा गलत रूप से तरमीम करते हुए अन्यत्र जगह नक्शों में दर्ज कर दिया गया। उक्त शुद्धि बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ से उक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट साबिक व हाल नक्शों के आधार पर प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा बिना किसी आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलांत राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जो समस्त राजस्व रेकार्ड को संधारित करते है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक से उक्त प्रकरण की जानकारी है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांत मयाद बाधित एवं आधारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 21.06.2024 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 28.04.2025 को अर्थात् लगभग 01 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की गयी है।

प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावे एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय समक्ष अपीलांट द्वारा लगभग 01 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही रेस्पोंडेंट्स द्वारा इस सम्बन्ध में मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की है।

यहा हम मयाद के बिंदु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है।

**आरबीजे (14) 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है-**

INDIAN LIMITATION ACT, 1963 – SECTION 5 –  
Where there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned – it is well settled considered principle of law that the delay cannot be condoned without assigning any

reasonable satisfactory sufficient and proper reason. Appeal allowed.

आरआरटी 2010(2) पेज 801 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of three days in filing appeal – No sufficient cause explained for delay – Held, application and appeal dismissed.

आरआरटी 2011(2) पेज 851 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of 30 days in filing appeal – Delay not explained satisfactorily – Questions involved in appeal are question of facts – Concurrent findings – Held Appeal is dismissed on the ground of limitation and merits also.

आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)

परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्कल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late filing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He came to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he came to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

2010(2)सीटी(एसटी) पेज 462 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Delay of 4 years in filing appeal – High Court condoned the delay. Respondent misled High Court and made false statement – Delay wrongly condoned – Held, order is set-aside and appeal stands dismissed.

उपरोक्त न्यायिक उद्धरणों के अनुसार धारा-5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि का प्रश्न अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिये। यदि अपील निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम बिन्दु यह निर्णय किये जाने का होता है कि क्या अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं। यदि धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन कोई आवेदन-पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे स्वीकार किया जावे या नहीं एवं जो देरी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई है, उस देरी

को क्षम्य किया जावें अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु नहीं जा सकती। मयाद के सम्बन्ध में लिया ऐतराज मात्र तकनीकी ऐतराज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण व सारभूत ऐतराज है, जो अपीलीय न्यायालय के अपील को सुनने या उसे ग्राह्य किये जाने व निर्णय किये जाने के क्षेत्राधिकार को अवधारित करता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के दोष-मार्जन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय को अपील संतुष्टि करना आवश्यक है कि आया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त, संतोषप्रद व पर्याप्त है अथवा नहीं? न्यायालय को परिसीमा अवधि को साम्यपूर्ण आधार पर अभितृद्धित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में जहा विरोधी के पक्ष में कोई हित व अधिकार अभिप्राप्त हो गया है, वहां उसको भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलांट द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में प्रकरण की जानकारी हेतु यह वर्णित किया है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति संबंधित पटवारी द्वारा नामांतरकरण की प्रक्रिया हेतु अपीलांट के समक्ष

प्रस्तुत की गई, तब अपीलांत को जानकारी होना अंकित किया है, जबकि वास्तविकता इससे परे है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2024 को प्रकरण में तथ्यात्मक जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आलौच्य निर्णय से अपीलांत को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकॉर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलांत द्वारा इस न्यायालय के समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए लगभग 01 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

फिर भी न्यायहित में अब हम अपील में अपीलांत द्वारा वर्णित उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूप गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांत द्वारा प्रथम उज्र यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी स्वामित्व की वादग्रस्त भूमि का रकबा कम होना अंकित किया, लेकिन अंतर रकबा किसी खातेदारी भूमि में/बिलानाम भूमि में/चरागाह भूमि में अथवा अन्य किसी भूमि में गया हो ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है तथा न ही प्रार्थना पत्र में भी यह अंकित किया गया है, कि अंतर रकबा कहां से कम किया जाकर प्रार्थी की त्रुटि पूर्ण की जा सकें।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम अनोपपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद की आराजी संख्या 403/5 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा, जिसके नये आराजी

संख्या 602/534, 603/534, 604/534, 605/534, 534 कुल रकबा 1.0800 हेक्टेयर बने है, के संबंध में सेटलमेंट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों अनुसार दर्ज भूमि की जरिये इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों में शुद्धि करते हुए तरमीम की दाद चाही गई थी, न कि रकबा कमी-पूर्ति की दाद चाही गई थी। अतः उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांत द्वारा द्वितीय उज्र यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय को मौका एवं राजस्व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट जी जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं पूर्व राजस्व रेकार्ड की तुलनात्मक जांच किये जाने के पश्चात् विधि संगत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पत्रांक 150 दिनांक 04.04.2024 से तहसीलदार, देवगढ़ (अपीलांत) से प्रकरण में तथ्यात्मक जवाब/रिपोर्ट चाही गई थी, जिस पर तहसीलदार, देवगढ़ (अपीलांत) उनके पत्रांक 925 दिनांक 31.05.2024 से तथ्यात्मक जवाब/रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तहसीलदार, देवगढ़ (अपीलांत) तथ्यात्मक जवाब/रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

अपीलांत द्वारा एक अन्य उज्र यह प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे से अधिक रकबे को शुद्धि के जरिये अपने नाम खातेदारी अधिकार से रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है, जो विधि संगत नियमित वाद प्रक्रिया के जरिये ही दर्ज करवा सकता है तथा धारा 136 में प्रावधान है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंट से पूर्व के किसी अंकन में सेटलमेंट के बाद निर्धारित राजस्व रेकार्ड में परिवर्तित अंकन कर दिया हो तो उसे शुद्ध किया जाना है, जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरा संख्या 403/5 के क्षेत्रफल एवं नक्शा ट्रेस दोनों में ही संशोधन चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम अनोपपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद की आराजी संख्या 403/5 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा, जिसके नये आराजी संख्या 602/534, 603/534, 604/534, 605/534, 534 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर बने है, के संबंध में सेटलमेंट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों अनुसार दर्ज भूमि की जरिये इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों में शुद्धि करते हुए तरमीम की दाद चाही गई थी, न कि रकबा कमी-पूर्ति की दाद चाही गई थी तथा धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरुस्त किया जा सकता है। अतः अपीलांत का उक्त उज्र भी माने जाने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोंडेंट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ से प्रकरण में वर्णित आराजीयात की जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम अनोपपुरा, तहसील देवगढ़ की वर्णित आराजीयात के मौके कब्जे एवं नक्शे में अंतर होकर अशुद्धि होना प्रमाणित है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

“136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or

register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते हैं अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरुस्त किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जांच की कार्यवाही की गई। प्रकरण में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा जांच के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के द्वारा प्रकरण में दुरुस्ती का आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांत को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित हैं, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात् अपीलांत गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख

अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2024 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांत बेरून मयाद एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।

(सी. आर. देवासी)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर